

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2003

का.आ. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 के उप खण्ड (ii) में का.आ. 2539 तारीख : 29 सितम्बर, 1990 द्वारा प्रकाशित बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत हैं,

(ख) "अभिकरण" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कोलकाता, कोच्ची, दिल्ली और चैन्नई में निरीक्षण के लिए स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण, जिसके अन्तर्गत विभिन्न अन्य स्थानों पर अवस्थित उसके उप-कार्यालय या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कोई अन्य कार्यालय भी हैं, अभिप्रेत है।

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(घ) "बासमती चावल (ओरीजा साटीवा)" से ऐसा बासमती चावल कच्चा मशीन कुटा चावल, सेला चावल, भूसीदार और बिना पालिस किया हुआ (भूस) बासमती चावल, और सेला भूस बासमती चावल अभिप्रेत होगा, जो भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों में उगाया गया हो और जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों, अर्थात्:--

(i) इस दाने की लम्बाई असाधारण हो, जो पकने के पश्चात् पर्याप्त रूप से बढ़ जाती हो।

(ii) पका हुआ दाना उच्च साखवाला उच्च रूप से विशिष्ट प्रकार का सुभिन्न सुगंध, स्वाद और जाएकेवाला हो।

(iii) वह पारम्परिक किस्म या विकसित किस्म का हो।

जहां पारम्परिक किस्म से भूमि प्रजातियां या एक समान आकृति, आकार और रंग की जातें ऐसी किस्में अभिप्रेत होंगी और विकसित किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत होंगी जिसके माता पिता में से एक पारम्परिक किस्म है और जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बासमती किस्म के रूप में मान्यता दी गयी है।

स्पष्टीकरण 1 : शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) के बासमती चावल के रूप में अधिसूचित बासमती चावल की सभी किस्मों का अर्थात् बासमती 370, बासमती 386, किस्म 3, तरौरी बासमती (एच बी सी - 19) बासमती 217, रजबीर बासमती (आई ई टी - 11348) पूसा बासमती -1 (आई ई टी - 10364), पंजाबी बासमती -1 (बाउनी

बासमती) हरिप्रसाद बासमती -1 (एच के आर 228 / आई ई टी - 10367) कस्तुरी आई ई टी - 8580 और माही सुगन्धा का, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए बासमती चावल के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि पारम्परिक किस्म के बासमती चावल से केवल बासमती किस्म ही बनाई जाती हैं, जैसे (बासमती 386, किस्म 3 तरोरी बासमती (एच बी सी -19) बासमती 217 और रणवीर बासमती (आई ई टी + 1348) जिन्हें पारम्परिक भूमि प्रजातियों से चयन किया जाता है और जिन्हें बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के अधीन परिलक्षित किया जाता है।

(ड) "भूरे चावल" से ऐसे चावल अभिप्रेत हैं जिनसे छिलका उतार दिया जाता है और दानों पर भूसी लगी रहती है।

(च) "भूरे सेना चावल" से चावल के ऐसे दाने अभिप्रेत हैं, जो धान को उखना करके और भूसी और छिलका अलग करने के पश्चात् अभिप्रेत किए गए हों।

(छ) "टुकड़े और किन्के" के अंतर्गत चावल के दानों के ऐसे टुकड़े हैं, जो पूरे चावल के 3/4 भाग से कम है।

(ज) "सफेद दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं, जिनका कम से कम आधा भाग दूधिया सफेद रंग का और जो प्रकृति के अनुसार मुग्गुरा हैं।

(झ) "नुकसानग्रस्त, बदरंग दाने" के अंतर्गत चावल के ऐसे दाने हैं जो टूटे हुए या साबुत, आन्तरिक रूप से नुकसानग्रस्त या बदरंग हैं, जिससे तात्त्विक रूप से क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है।

(ण) विस्तारण अनुपात (विअ) से बिना पके चावल से पके हुए चावल की लम्बाई का अनुपात अभिप्रेत है 62 जिसके पकने पर विस्तारित लम्बाई नापी जाती है।

(त) "विनातीय पदार्थ" के अंतर्गत धूल, पत्थर, चट्टी के ढले, भूसी, तिनके या घास-फूस और अन्य कोई गंदगी है।

(थ) "हरे दाने" से साबुत या टूटे हुए दाने अभिप्रेत हैं, जो रंग में हरेपन पर हों।

- (द) "लम्बाई/चौड़ाई अनुपात" से किसी दाने की लम्बाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात अभिप्रेत है।
- (ध) "अन्य किस्म" से चावल की ऐसी अन्य किस्म अभिप्रेत हैं जो बासमती चावल के रूप में अधिसूचित किस्मों से भिन्न है।
- (प) "लाल दाने" से साबुत या टूटे हुए दाने होंगे जिनकी सतह लाल रंग से कोट की हुई होगी।
- (फ) "कच्चा मशीन कुटा चावल" से धान का छिलका उतारने और उसे मशीन से कूटने की प्रक्रिया के पश्चात् जिसके परिणाम स्वरूप भूरे चावल से चोकर अलग हो जाए, अभिप्राप्त चावल के दाने अभिप्रेत हैं।
- (ब) "कच्चे सेला चावल" से धान को उसना करके भूसी अलग करके तथा मशीन से कूट के जिसके परिणाम स्वरूप भूरे सेला चावल से चोकर अलग हो जाए है, उसके पश्चात् अभिप्राप्त चावल के दाने अभिप्रेत हैं।
- (भ) "लाल परत वाले दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं, जिनकी सतह पर लाल छिलके की परत होती है।
- (म) "छिलका उतारना" से धान से भूसी को हटाना अभिप्रेत है।
- (य) "टूटे हुए अग्रभागों" से ऐसे मशीन कूटे चावल अभिप्रेत हैं, जिनके अग्रभाग टूट गए हैं।
- (र) "मशीन में प्रक्रियाधीन दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं, जिनका चोकर भाग पालिस करने के दौरान पूरी तरह नहीं हटा है या जिन पर अधिकांश चोकर लगा रह गया है।

3. निरीक्षण का आधार :- बासमती चावल का निरीक्षण यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, जो :-

- (क) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पाद का प्रसंस्करण परिषद् द्वारा यथा विहित आवश्यक अंतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण / या प्रमाणीकरण प्रणाली का प्रयोग करके किया गया है; या
- (ख) परिषद् द्वारा विहित रीति से किए गए निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर किया गया है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :- (i) ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो बासमती चावल के परेषण का

निर्यात करने का आशय रखता है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास संविदा रजिस्टर कराना और अभिकरण को मात्रा, श्रेणी एवं स्थान और आयात करने वाले देश के आयातकर्ता की विनिर्दिष्ट अपेक्षा जिसके अन्तर्गत संविदात्मक विनिर्देश, यदि कोई हो, होंगे, सहित ब्यौरे देते हुए लिखित सूचना देगा, ।

(ii) निर्यातकर्ता उक्त उपनियम (1) में वर्णित सूचना के साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात के लिए आशयित बासमती चावल का परेषण परिषद् द्वारा विहित रूप में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, प्रसंस्कृत किया गया है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(iii) उपनियम (1) के अधीन सूचना जहां अभिकरण का कार्यालय स्थित है, परिसर, उसी स्थान पर स्थित परिसर में किए जाने वाले निरीक्षण से कम से कम दो दिन पूर्व दी जाएगी, पर, जो अभिकरण के कार्यालय के स्थान पर स्थित नहीं है, वहां निरीक्षण किए जाने के कम से कम 7 दिन के पूर्व दी जाएगी ।

(iv) उपनियम (1) के अधीन किसी सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई हो, के प्राप्त होने पर अभिकरण :-

(क) अपना यह समाधान कर लेने पर कि वेषण यूनिट या प्रसंस्करण यूनिट ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, इस संबंध में परिषद् द्वारा विहित रूप में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया है, बासमती चावल के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए दो दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(ख) जहां प्रसंस्कृत निर्यातकर्ता नहीं है, वहां परेषण का भौतिक रूप से सत्यापन और निरीक्षण किया जाएगा और सत्यापन और / या निरीक्षण, यदि आवश्यक हो, तो अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है ।

(v) (क) अभिकरण निर्यात के लिए परेषणों में से कुछ की अचानक जांच कर सकेगा और यूनिट द्वारा अपनाए गए अंतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिल की पर्याप्तता का सत्यापन करने के लिए नियमित अंतरालों पर प्रसंस्करण एकाई को मॉनीटर भी करेगा। यदि यह पाया जाता है कि परेषण यूनिट/प्रसंस्करण यूनिट ने, प्रसंस्करण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपाय नहीं किए हैं या परिषद् अथवा अभिकरण की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास पर्याप्त अंतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलें नहीं हैं।

(ख) ऐसे मामलों में यदि यूनिट ऐसा चाहता है तो वह अंतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेगा।

(ग) यदि निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन इस आशय की घोषणा नहीं की है कि परिषद् द्वारा अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है, तो अभिकरण अपना यह समाधान कर लेने पर कि बासमती चावल का परेषण परिषद् द्वारा अधिकथित रूप में किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, तो वह, यथास्थिति दो दिन या सात दिन के भीतर, बासमती चावल के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यातकर्ता को प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा और, यथास्थिति, दो दिन या सात दिन के भीतर ऐसा इंकार किए जाने के कारणों सहित निर्यातकर्ता को इंकार की सूचना देगा।

(vi) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को परेषण की क्वालिटी का भण्डारण के किसी भी स्थान पर या अभिवहन में या उसके वास्तविक लदान से पहले पुनः निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vii) 3.3, परेषण को इनमें से किसी भी प्रक्रम पर मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो मूल स्तर से जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैक करना और डिब्बाकन :- (i) यदि परेषण को उपरोक्त नियमों के अनुसार पैक किया जाए रूप में बासमती चावल को निर्यात करने का आशय रखने वाला कोई निर्यातकर्ता चावल को मानक नई अंबान की बोरियों में या अंदर की और पोलिथीन सहित कैनवस बोरियों या अधिक सतह वाले पोलीलेमिनेटिड कार्डबोर्ड के बक्सों, डिब्बों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप पैक करेगा।

(ii) निर्यातकर्ता आयात करने वाले देशों की लेबल लगाने की विधियों के अनुसार बोरियों पर लेबल लगा सकेगा।

6. निरीक्षण का स्थान :- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के उस परिसर पर किया जाएगा जहां मूल निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस :- निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन विहित दरों पर फीस अभिकरण को क्रमशः परेषणानुसार निरीक्षण और अंतः प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण प्रणालियों के लिए निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।

8. अपील:-

(क) कोई ऐसा निर्यातकर्ता जो अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अपील कर सकेगा जो अभिकरण द्वारा विशेषज्ञों के ऐसे पैनल को निर्देशित की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

(ख) पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे,

(ग) पैनल की गणपूर्ति इस प्रकार होगी,--

(i) दो, यदि पैनल में चार, या इससे कम सदस्य है, और चार सदस्यों से मिलकर बने पैनल की देशों में; दो तथा

(ii) तीन, चार से अधिक सदस्य यदि हैं।

(ग) पैनल अपील को उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाएगा।

(घ) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अंतिम होगा।

[फा. सं. 6/2/2000—ई आई एण्ड ई पी]

एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2003

S.O. 68(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 1990 published in the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (ii), vide S.O. 2539 dated 29th September, 1990 except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules; namely: -

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the context other wise requires, -

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "agency" means any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Mumbai, Kolkata, Kochi, D=ni and Chennai under section 7 of the Act for inspection including its sub-offices located at various other places or any other office authorised on its behalf for inspection;

(c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) "Basmati Rice (*Oryza sativa*)" shall mean Basmati raw milled rice; parboiled rice; husked and unpolished (Brown) basmati rice; and parboiled brown basmati rice grown in the Indo Gangetic plains and having the following characteristics; namely: -

(i) It has an exceptional length of grain, which increases substantially on cooking;

(ii) The cooked grain has high integrity and high discreteness and distinctive aroma, taste and mouth feel;

(iii) It is a traditional variety or is an evolved variety.

Where, traditional variety shall mean land races or varieties of rice of uniform shape size and colour traditionally recognised as Basmati and evolved variety shall mean a variety whose one of two parent is a traditional variety and which has been recognised as a Basmati variety under any law for the time being in force.

Explanation 1: For the purpose of removal of doubts, it is declared that all varieties of Basmati Rice notified as Basmati Rice under the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), namely Basmati 370, Basmati 386, Type 3, Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati (IET-11348), Pusa Basmati- I (IET-10364), Punjab Basmati-1 (Bauni Basmati), Haryana Basmati 1- (HKR228/IET-10367), Kasturi IET-8580 and Mahi Sargandha shall be construed as Basmati Rice for the purposes of these rules.

Explanation 2: For the purpose of removal of doubts, it is declared that traditional variety of Basmati Rice constitute only Basmati varieties Basmati 370, Basmati 386, Type-3, Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217 and Ranbir Basmati (IET-11348), which are selections from traditional land races and identified under the Seeds Act 1966 (54 of 1966).

- (e) "brown rice" means rice where husk is removed leaving bran intact on the kernels.
- (f) "brown rice parboiled" means rice grain obtained when paddy is parboiled and husked or shelled.
- (g) "broken and fragments" includes pieces of rice kernels which are less than three fourth of a whole kernel.
- (h) "chalky grains" means the grains atleast half of which are milky white in colour and brittle in nature.
- (i) "damaged, discoloured grains" includes rice kernels, broken, fragments of whole that are internally damaged or discoloured, materially affecting the quality.
- (j) "elongation ratio (ER)" means the ratio of the length of cooked rice to that of uncooked rice which measures the expansion length upon cooking.
- (k) "foreign matter" includes dust, stones, lumps of earth, chaff, stems or straw and any other impurity.
- (l) "green grains" means kernels, whole or broken, which are greenish in colour.
- (m) "L/B ratio" means the ratio of the length of a grain to its breadth.
- (n) "other varieties" means varieties of rice other than those notified as Basmati.
- (o) "red grains" shall be the kernels, whole or broken, which have their surface coated with red grains.

- (p) "raw milled rice" means rice kernels obtained after the process of shelling and milling of the paddy, resulting in the removal of bran from brown rice.
- (q) "raw parboiled rice" means rice grain obtained when paddy is parboiled, husked and milled resulting in the removal of bran from brown parboiled rice.
- (r) "red streaked grain" means grain that has streaks of red bran layer on the surface.
- (s) "shelling" means removal of husk from paddy.
- (t) "tip broken" means milled rice whose germ end tip is broken.
- (u) "under milled grain" means grain whose bran portion is not completely removed during polishing or which has substantial bran streaks left on it.
3. **Basis of Inspection:** The inspection of Basmati Rice shall be carried out to ascertain that the same conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, either—
- (a) by ensuring that the products have been processed by exercising necessary in-process quality controls/ or certification system as prescribed by the Council; or
 - (b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner prescribed by the Council.
4. **Procedure of Inspection:** (i) An exporter intending to export a consignment of Basmati Rice shall register the contract with Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority and shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the quantity, the grade and the destination along with specific requirement of the importer of importing country including contractual specifications, if any.
- (ii) The exporter shall also furnish along with the intimation mentioned in sub-rule (i) above, a declaration that the consignment of Basmati Rice intended for export has been processed by exercising adequate quality control as prescribed by the Council and the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.
- (iii) An intimation under sub-rule (i) shall be given at least two days ahead of the inspection date where the premises is situated at the same stations as the office of the agency. In case the office is located elsewhere, at least seven days prior intimation will be required.
- (iv) On receipt of an intimation under sub-rule (i) and the declaration, if any, under sub-rule (ii), the agency:-

- (a) on satisfying itself that the milling unit or processing unit has exercised adequate quality control as prescribed by the Council in this regard to ensure that the product conforms to the standard specification recognised for the purpose, shall, within two days, issue a certificate declaring the consignment of Basmati Rice as export worthy.
- (b) where the processor is not the exporter, shall physically verify and inspect the consignment and such verification and or inspection, if necessary, shall be carried out to ensure that the above conditions are complied with.
- (v) (a) The agency may carry out a random check of some of the consignments for export and also monitor the processing units at regular intervals to verify the adequacy of in-process quality control and adopted by the unit. If the milling unit or processing unit is found not maintaining the required quality control measures at any stage of the process or not complying with the recommendations of the Council or agency, the unit shall be declared as not having adequate in process quality control drills.
- (b) If the unit so desires, it may apply afresh for assessment of the adequacy of in-process quality control drills.
- (c) In case the exporter has not made a declaration under sub-rule (ii) to the effect that adequate quality control as laid down by the Council has been exercised, the agency, on satisfying itself that the consignment of Basmati Rice conforms to the standard specifications recognised for the purpose on the basis of inspection and testing carried out as laid down by the Council, shall within two days or seven days as the case may be, issue a certificate declaring the consignment of Basmati Rice as export worthy.
- Provided that where the agency is not satisfied, it shall refuse to issue a certificate to the exporter and shall communicate such refusal within two days or seven days, as the case may be, to the exporter along with reasons thereof.
- (vi) Subsequent to certification, the agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place of storage, or in transit or at the ports before its actual shipment.
- (vii) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. **Packing and Marking:-** (a) An exporter intending to export Basmati Rice in packed form in accordance with the above rules shall pack the rice in standard new gunny bags or canvas bags, with inner polythene or cardboard cartons multilayers or polylaminates or as per specific requirements of the buyer.
- (b) An exporter may carry out labelling of the bags as per the labelling laws of the importing countries.
6. **Place of Inspection:** - Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection, only if adequate facilities exists therein for inspection.
7. **Inspection Fee:** - A fee at the rates prescribed under sub-section (2) of section 7 of the Act for the purpose of inspection shall be paid to the agency as inspection fee for consignment wise inspection and in-process quality control systems respectively.
8. **Appeal:** - (a) An exporter aggrieved by the refusal of the agency to issue the certificate of inspection may within ten days of the receipt of the communication of such refusal prefer an appeal which shall be referred by the agency to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven, persons appointed for the purposes by the Central Government.
- (b) At least two third of the total membership of the panel shall consist of non-officials.
- (c) The quorum of the panel shall be:-
- (i) two in case the panel consists of four or less member, and
- (ii) three in case the members are more than four.
- (d) The panel shall dispose off the appeal of the exporter within fifteen days from the date of its receipt.
- (e) The decision of the panel on such appeal shall be final.

[F.No. 6/2/2000-BI&EP]

M. V. P. C. SASTRY, II Secy.